Dainik Bhaskar   Edition Delhi
17.1.2017 Page 3
Height 10.12cm Width 4.09 cm

आधार कार्ड नंबर है तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते वक्त नहीं होगी गवाह की जरूरत

भोपाल | प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आधार नंबर देने पर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजीयन विभाग ने यूआईडीएआई के साथ करार के बाद इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि राजधानी में हर साल करीब 45 हजार रजिस्ट्री होती हैं। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सेवा के जरिए आम लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। अभी रजिस्ट्री के समय व्यक्ति की पहचान बताने के लिए दो गवाहों की जरूरत होती है। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक शिवशेखर शुक्ला का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है।